<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 09.04.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 49/2026

सीआईएस नं. 08/2017

CNR No. RJBR020008912017

एफआईआर सं. 448/2016 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0सं0

PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. मोहम्मद अशफाक उर्फ भट्टा पुत्र मोहम्मद इब्राहीम निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता जितेन्द्र नागर

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		07.06.2016
एफआईआर की दिनांक		07.06.2016
आरोप पत्र की दिनांक		21.10.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		08.02.2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		09.10.2017
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		09.04.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		09.04.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	मोहम्मद अशफाक उर्फ भट्टा	03.09.2016	24.12.2016	457, 380 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	03.09.2016 से 24.12.2016 तक

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	लक्ष्मी नागर पत्नी लोकेश	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW2	हंसराज	ताईद नक्शा मौका
PW3	ज्ञानचंद	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW4	शिवराज सिंह	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक घटनास्थल, बरामदगी व जप्ती
PW5	अरविंद उर्फ चंदन	ताईद नक्शा मौका
PW6	मोहनलाल	ताईद नकल मालखाना रजिस्टर
PW7	राजेश कंवर	ताईद नक्शा मौका, व जप्ती
PW8	रमेश चंद	हालात तफ्तीश
PW9	रामचंद्र कुमावत	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक घटनास्थल, बरामदगी व जप्ती

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 09.10.17 PW1	पुलिस बयान लक्ष्मी नागर पत्नी लोकेश
2	Ex P2 09.10.17 PW2, PW5, PW8	नक्शा मौका
3	Ex P3 18.01.24 PW3	पुलिस बयान ज्ञानचंद
4	Ex P4 07.04.25 PW4, PW8, PW9	फर्द गिरफ्तारी
5	Ex P5 07.04.25 PW4, PW8, PW9	फर्द जप्ती
6	Ex P6 07.04.25 PW4, PW8, PW9	तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका
7	Ex P7 07.04.25 PW5	पुलिस बयान अरविंद उर्फ चंदन
8	Ex P8, Ex P8a 11.06.25 PW6, PW8	असल मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति
9	Ex P9 28.11.25 PW7, PW8	तहरीरी रिपोर्ट
10	Ex P10 08.01.26 PW8	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतिला
11	Ex P11 08.01.26 PW8	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतिला

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.06.2016 को फरियादिया श्रीमति राजेश कंवर पत्नी नाथूसिंह ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 इस आशय की पेश की कि वह किराये से कमरा लेकर श्रमिक कालोनी में रह रही है। मकान नागर साहब का है। वह कल शाम को 5.00 बजे 6.6.2016 को लगभग गाँव गई थी जब वह दिनांक 07.06.2016 को सुबह 9 बजे वापस आई तो उसका ताला नहीं लगा था मकान मालिक का ताला लगा हुआ था जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप का ताला टूटा हुआ था सामन बिखरा पड़ा था तो उन्होंने देख के अपना ताला लगा दिये ताला खुलवा कर उसने कमरे में देखा तो उसका सारा समान बिखरा पड़ा था। उसने चैक किया तो उसका 2 मंगल सूत्र, 1 जोडी कानो के टोपस (सोने), 1 जोड़ी पायेजेब (चांदी) व नगद 20,000 रुपये नहीं मिले व 2 चांदी के सिक्के लक्ष्मीमाता के नहीं मिले।................इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 448 / 2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457, 380 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त अखलाक को जुर्म धारा 457, 380 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में मुल्जिम को झूठा व रंजिशवश फंसाया गया है, प्रकरण में जप्तशुदा माल साक्ष्य के दौरान पेश नहीं हुआ है, फर्द जप्ती खुले स्थान से की

गई है तथा स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि:–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.06.2016 व दिनांक 07.06.2016 की दरम्यानी रात्री को किसी भी समय मौजा श्रमिक कॉलोनी बारां में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए फरियादिया राजेश कंवर के रिहायशी मकान में चोरी करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार कर दो मंगलसूत्र, 01 जोडी कानो के टॉप्स सोने के, एक जोडी पायजेब चांदी की, दो चांदी के सिक्के एवं बीस हजार रूपए को चुराकर ले गए। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू–01 लक्ष्मी नागर पत्नी लोकेश नागर, पी.डब्ल्यू–03 ज्ञानचंद व गवाह पी.डब्ल्यू–05 अरविंद उर्फ चंदन द्वारा के अपने–अपने बयानों वह घटना की ताईद नहीं करते हुये उक्त गवाहान प्रकरण वह पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–02 हंसराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 5–6 महीने पहले की बात है। वह अस्पताल में गया था। घर में उसके बच्चे थे। वह अस्पताल से सुबह आया था। उनके मकान में राजेश कंवर रहती थी जिसके कमरे का ताला टूटा हुआ था। वह जब अस्पताल से आया थ तब राजेश कंवर उसे वहीं पर मिली थी और बहुत सारे आदमी इकठ्ठे हो रहे थे। उसने बताया था कि मंगलसूत्र और 15–20 हजार रूपए चोरी होना बता रही थी। जिस मकान में राजेश कंवर रहती थी वह उसका मकान था। पुलिस ने उसके बयान लिए थे और उससे पूछताछ की थी। पुलिस मौके पर आई थी पुलिस ने मौका देखा था और बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

11. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह उस मकान में गया था तब ताला टूटा हुआ नहीं था। राजेश को उनके मकान में करीब 3–4 महीने हुए रहते हुए। राजेश कंवर कुछ काम धंधा करती थी या नहीं करती थी उसे पता नहीं है। उन्होंने तो मकान में जाकर भी चैक नहीं किया कि गया है और क्या

नहीं गया है। उस मकान में राजकंवर के अलावा तीन–चार किरायेदार और रहते हैं। प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

12. गवाह पी0डब्ल्यू–04 शिवराज सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.09.2016 को वह थाना कोतवाली में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन रमेश चंद एएसआई ने मो० अशफाक पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 03.09.2016 को अशफाक की सूचना पर उसके रिहायशी मकान पर गए, जहां से उसने अपने कमरे में से दो मंगलसूत्र सोने के, एक जोडी टॉप्स, एक जोडी चांदी की पायजेब, दो चांदी के सिक्के निकाल कर पेश किये, जिन्हें रमेशचंद एएसआई ने जब्त किया। फर्द जब्ती जेवरात प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 05 की पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका अंकित है। अभियुक्त की सूचना पर तस्दीक घटना स्थल का नक्शा मौका अभियुक्त की निशादेही से बनाया जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है, आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि जिस मकान से माल जब्त किया था, उसका मुख्य दरवाजा किस दिशा में है, आज उसे ध्यान नहीं। उस रिहायशी मकान में कितने कमरे थे यह भी उसे पता नहीं। प्रदर्श पी 04 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किये थे। वह प्रदर्श पी 06 पर हस्ताक्षर उसने घटना स्थल पर किये थे। गिरफ्तारी के समय मुलजिम ने क्या पहन रखा थाए आज उसे जानकारी नहीं है।

14. गवाह पी0डब्ल्यू–06 मोहनलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 03.09.2016 को थाना कोतवाली बारां में हेड कांस्टेबल मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 448/2016 धारा 457, 380 आई पी सी के आई ओ श्री रमेशचंद ए एस आई ने मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा से जब्तशुदा माल सील्डशुदा चिठ चस्पा किया हुआ एक पैकेट उसे जमा मालखाना करने हेतु दिया था जो उसने मालखाना रजिस्टर क्रमांक 555/16 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी माल जमाकर्ता रमेशचंद ए एस आई के हस्ताक्षर हैं जिसकी प्रमाणित हस्तप्रति प्रदर्श पी 8 ए है जो पत्रावली में शामिल है।

15. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 8 पर जिस सील से माल सील्ड था वह सील असल मालखाना रजिस्टर पर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि माल सील्डशुदा था, जिस पर चिट चस्पा किया हुआ था उसके चिट के अनुसार मालखाना रजिस्टर में माल इंद्राज किया गया था। यह कहना भी सही है कि उसने खोलकर नहीं देखा। यह कहना भी सही है कि आज माल हाजिर अदालत नहीं है।

16. गवाह पी0डब्ल्यू–07 राजेश कंवर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 8–9 साल पहले की बात है। वह श्रमिक कॉलोनी, बारां में किराये रहती थी, वह गांव चली गई थी फिर वह दूसरे दिन सुबह 9.10 बजे वाप आई, तो उसने देखा कि उसके कमरे का ताला खुला हुआ था फिर उसने कमरा खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। दो मंगलसुत्र सोने के, एक जोडी पायजेब, एक जोडी कान के सोने, 2 चांदी के सिक्के व 20 हजार रूपये नगद नही मिले। फिर कोटा से उसकी बेटी शिमला आई थी, इस बात की रिपोर्ट उसने थाने पर जाकर करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है, वह अगुंठा लगाती है, प्रदर्श पी 9 पर एक्स स्थान पर दो जगह उसकी अंगुठा निशानी है। उसकी चोरी किए गए जेवरात उसने सुपुर्दगी में प्राप्त कर लिये है।

17. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 कोतवाली थाने में लिखवाई थी किसने लिखी थी उसे आज पता नहीं है। रिपोर्ट में पुलिस वालों ने चोरी हुइ चिजों के बारे में लिखा था। उसे पढना नहीं आता। चोरी हुए सामानों का रिपोर्ट दर्ज करवाते समय बिल नहीं दिए ना ही बाद में दिए। पुलिस ने सामानों को उसे दिखाकर थाने में पहचान करवाई थी। थाने में सामान कहां से आए यह उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि कौन चोरी करके सामानों को लेकर गया था उसे पहले भी पता नहीं था और आज भी पता नहीं है। थाने में जो सामान दिखाया था वह खुली अवस्था में था।

18. गवाह पी0डब्ल्यू–08 रमेश चंद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह 07.06.2016 को थाना कोतवाली बारां में ए एस आई के पद पर तैनात था। उस दिन उसे आई सी थाना द्वारा मुकदमा नंबर 448/16 धारा 457, 380 आई पी सी का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है जिस पर एक्स स्थान पर फरियादिया राजेश कंवर का अंगूठा निशानी है। ए से बी बद्रीलाल एस आई आई सी थाना द्वारा कार्यवाही पुलिस का नोट अंकित है जिस पर सी से डी बद्रीलाल के हस्ताक्षर हैं जिनके अधीनस्थ होने के कारण में उनके हस्ताक्षर भली भांति पहचानता है। दौराने

अनुसंधान बयान फरियादी राजेश कंवर, गवाह हंसराज, लक्ष्मीनागर, ज्ञानचंद, अरविंद उर्फ चंदन सिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फरियादिया राजेश कंवर की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर राजेश कंवर की अंगूठा निशानी है। पुश्त पर हालात नक्शा मौका अंकित है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा को उसके द्वारा जरिये फर्द गिरफतार किया गया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ मुल्जिम अशफाक के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफतारशुदा मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा ने स्वेच्छया धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी जिसको उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने बताया कि उसने दो मंगल सूत्र साने जैसे व दो कलदार चांदी के रूपये, दो टॉप्स सोने जैसे, एक चांदी की तोडियां उसके रिहायशी मकान श्रमिक कॉलोनी बाहर वाले पक्के कमरे में बैड की रैक में रख रखे हैं। इत्तिला प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी से डी मुल्जिम अशफाक के हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम अशफाक ने आगे आगे चलकर अपने हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफतारशुदा मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा ने स्वेच्छया धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी जिसको उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने बताया कि उसने दो मंगल सूत्र सोने जैसे व दो कलदार चांदी के रूपये, दो टॉप्स सोने जैसे, एक चांदी की तोडियां उसके रिहायशी मकान श्रमिक कॉलोनी बाहर वाले पक्के कमरे में बैड की रैक में रख रखे हैं। इत्तिला प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी से डी मुल्जिम अशफाक के हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम अशफाक ने आगे आगे चलकर अपने रिहायशी मकान बारा में अपने बाहर वाले कमरे में बैड की रैक मे से निकालकर दो सोने जैसे मंगलसूत्र एक जोडी कानों की टॉप्स सोने जैसे एक जोडी पायजेब, चांदी जैस दो सिक्के निकालकर के पश किये। जिस फरियादिया राजेश कंवर ने स्वयं का होना स्वीकार किया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। ई से एफ मुल्जिम अशफाक के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर फरियादिया राजेश कंवर की अंगूठा निशानी है। जब्ती की पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका अंकित है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफतारशुदा मुल्जिम ने स्वेच्छया धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी जिसमें उसने बताया कि वह वह स्थान चलकर बता सकता है जहां से उसने चोरी की थी। इत्तिला प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी दो जगह मुल्जिम के

हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम अपनी इत्तिलानुसार आगे आगे चलकर राजेश कंवर के कमरे तक गया और बताया कि उसने यहां से चोरी की थी जिसका तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा की निशांदेही से बनाया गया जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैंए ई से एफ मुल्जिम अशफाक के हस्ताक्षर हैं। पुश्त पर हालात नक्शा मौका अंकित है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया गया जिसके मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 ए है। संपूर्ण तफतीश से मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा के विरूद्ध धारा 457, 380 आई पी सी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस एच ओ को सुपुर्द की जिन्होने न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

19. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि तहरीरी रिपार्ट प्रदर्श पी 9 अज्ञात मुल्जिम की प्राप्त हुई था। दौराने अनुसंधान तहरीरी रिपोर्ट में चोरी गए सामानों के बिल फरियादिया द्वारा पेश नहीं किय गये। यह कहना भी सही है कि चोरी गए सामानों का वजन व पहचान अंकित नहीं है। तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने के करीब 3 माह बाद मुल्जिम को गिरफतार किया था। मुकदमा नंबर 558/16 में अनुसंधान के दौरान पूछताछ नोट में इसने बताया कि और भी जगह उसने चोरी की है। पूछताछ नोट पत्रावली में शामिल नहीं है। यह कहना भी सही है कि दौराने अनुसंधान लिये गये बयान गवाहान हंसराज व राजेश कंवर के बयानों में चोरी गए सामानों के वजन व पहचान अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल का नक्शा मौका बनाते समय घटना बाबत् कोई भौतिक साक्ष्य घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 पर पुलिस कर्मी के अलावा स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना भी सही है कि बरामदगी स्थल के स्वामित्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। यह कहना भी सही है कि स्वामित्व बाबत आस पडोस के किसी के बयान लेखबद्ध नहीं किये। यह कहना भी सही है कि बरामदशुदा सामानों की शिनाख्तगी एसडीएम या तहसीलदार से शिनाख्त नहीं करवाई। यह कहना भी सही है कि बरामदशुदा सामानों की टंच बाबत सुनार से चेक नही करवाए। यह कहना भी सही है कि बरामदशुदा सामानों का वजन फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 पर अंकित नहीं है। जिस जगह का घटनास्थल तस्दीक किया था उस जगह पर वह पहले जा चुका था। यह कहना गलत है कि मुल्जिम को उसने उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया हो।

20. गवाह पी0डब्ल्यू–09 रामचंद्र कुमावत ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.09.2016 को वह पुलिस थाना कोतवाली बारां में उपनिरीक्षक के पद पर

पदस्थापित था। उस दिन रमेश चंद ए एस आई ने प्रकरण संख्या 448/16 धारा 457, 380 आई पी सी में मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा को उसके सामने गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 03.09.2016 को मुल्जिम अशफाक उर्फ भट्टा ने अपनी इत्तिलानुसार आगे आगे चलकर स्वयं के रिहायशी मकान श्रमिक कॉलोनी बारां में बने बाहर वाले कमरे में बेड की एक रेक में से दो सोने जैसे मंगलसूत्र, एक जोडी कानों के टॉप्स सोने जैसे, एक जोडी चांदी की पायजेब, दो सिक्के चांदी जैसे निकालकर के पेश किये जिसे फरियादिया राजेश कंवर ने स्वयं का हाना बताया। बरामदशुदा माल जरिये फर्द उसके सामने जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुल्जिम मोहम्मद अशफाक उर्फ भट्टा ने आगे आगे चलकर राजेश कंवर के कमरे पर ले जाकर बताया कि उसने यहां से चोरी की थी जिसका तस्दीक नक्शा मौका घ टनास्थल मुल्जिम मोहम्मद अशफाक उर्फ भट्टा की निशांदेही से बनाया था जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

21. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुल्जिम से नगद पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई थी। बरामदगी स्थल का स्वामी हंसराज था। जब बरामदगी की थी तब एस आई शिवराज सिंह जी क अलावा कौन कौन थे उसे आज याद नहीं है। बरामदगी के गवाह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बनाए गए अजखुदकहा कि कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसीलिए नहीं बनाए गए। यह कहना सही है कि फर्द बरामदगी में यह तथ्य अंकित नही है कि मौके पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति कानूनी पेचीदगियों के कारण गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिन लोगों ने गवाह बनने से इंकार किया उनके नाम पते आज वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि जिस स्थान से बरामदगी की वहां के मालिक का भी गवाह नहीं बनाया। यह कहना सही है कि उसके सामने बरामदशुदा माल की शिनाख्तगी कार्यवाहा एस डी एम या तहसीलदार के समक्ष नही करवाई। यह कहना सही है कि बरामदशुदा जैसा माल सुनरों के पास मिल जाता है। मुल्जिम को थाने पर गिरफतार किया था। तस्दीक घटनास्थल पर कौन मिला था आज याद नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 6 तस्दीक घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए। सुनार को बरामदगी स्थल पर नहीं बुलाया था। यह कहना सही है कि बरामदशुदा माल को सुनार के पास ले जाकर चौक नहीं करवाया। यह कहना गलत है कि फर्दों पर थाने पर हस्ताक्षर किय हो। वजन करवाया था नहीं करवाया उसे आज याद नहीं है।

22. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में परिवादी राजेश कंवर के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि वह कमरा किराये से लेकर श्रमिक कॉलोनी में नागर साहब के मकान में किराये से रहने, कल शाम 05 बजे 06.06.2016 को लगभग गांव जाने, जब वह दिनांक 07.06. 2016 को सुबह 09 बजे वापिस आई तो मकान में उसका ताला लगा हुआ नहीं होने, मकान मालिक का ताला लगा हुआ होने, जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका ताला टूटा हुआ होने, सामान बिखरा पडा होने, तो उसने अपना ताला लगा देने, ताला खुलवाकर कमरे में देखा तो सारा सामान बिखरा पडा होने, चेक किया तो दो मंगलसूत्र, एक जोडी कान के टोप्स सोने, एक जोडी पायजेब चांदी, नगद 20,000 रूपए व दो चांदी के सिक्के लक्ष्मीमाता के नहीं मिलने के बाबत् दर्ज करवाई गई है, जिस संबंध में परिवादिया राजेश कंवर पी.डब्ल्यू–07 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में ताला खुला हुआ होने फिर कमरा खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा पडा होने, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 पर एक्स स्थान पर दो जगह अंगूठा निशानी होने व चोरी के जैवरात सुपुर्दगी में प्राप्त करते हुए जिरह में उक्त गवाह ने चोरी हुए सामानों की रिपोर्ट दर्ज करवाते समय बिल नहीं देने ना ही बाद में देने, पुलिस ने सामानों को उसे दिखाकर थाने में पहचान करवाने, थाने में सामान कहा से आए पता नहीं होने एवं कौन चोरी करके सामानों को लेकर गया उसे पहले भी पता नहीं होने और आज भी पता नहीं होने, थाने में जो सामान दिखाये वह खुली अवस्था में होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार परिवादिया के बयानों से जब वह गांव से आई तब ताला खुला हुआ मिलने के बाबत् साक्ष्य उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है जबकि रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 में जब वह गांव से आई तब उस पर मकान मालिक का ताला लगा हुआ होने के बाबत् तथ्य रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 से प्रकट होता है। इस प्रकार परिवादिया के बयानों में व रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 में विरोधाभास होना प्रकट होता है तथा परिवादिया के द्वारा थाने में जो सामान दिखाए वह खुली अवस्था में होने के बाबत् साक्ष्य दी है जबकि प्रकरण में बरामदशुदा माल को मौके पर ही जप्त किया जाना प्रदर्श पी 05 के अवलोकन से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में जप्ती पर प्रथम दृष्टया ही संदिग्धता होना प्रकट होती है। इसी प्रकार फर्द जप्ती प्रदर्श पी 05 गवाह रामचंद्र व शिवराज सिंह की मौजूदगी में गवाह रमेशचंद एएसआई के द्वारा मुर्तिब किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में गवाह शिवराज सिंह पी.डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए घटनास्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर,

दक्षिण में क्या है आज उसे ध्यान नहीं होने और जिस मकान से माल जप्त किया उसका मुख्य दरवाजा किस दिशा में है आज ध्यान नहीं होने, उस रिहायशी मकान में कितने कमरे थे आज ध्यान नहीं होने, प्रदर्श पी 04 पर हस्ताक्षर थाने पर करने व प्रदर्श पी 06 पर हस्ताक्षर उसने घटना स्थल पर करने व गिरफ्तारी के समय मुल्जिम ने क्या पहन रखा था आज उसे जानकारी नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से प्रदर्श पी 05 के माध्यम से जो सामान मुल्जिम के मकान से बरामद करना बताया है उस मकान के हदूद के बारे में व मकान के अंदर क्या–क्या चीजे अवस्थित थी इस बाबत् कोई जानकारी उक्त गवाह को नहीं होना प्रकट होता है जिससे उक्त गवाह के बयानों से प्रदर्श पी 05 प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रकट होती है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह रामचंद्र कुमावत पी.डब्ल्यू–09 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम से कोई नगद पैसों की बरामदगी नहीं होने, बरामदगी स्थल का स्वामी हंसराज होने व जिस स्थान से बरामदगी की वहां के मालिक को भी गवाह नहीं बनाने एवं वजन करवाया या नहीं उसे याद नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से जिस स्थान से बरामदगी प्रदर्श पी 05 के माध्यम से करना बताया है उस स्थान का स्वामी हंसराज होना बताया है जबकि हंसराज उक्त मकान का स्वामी नहीं होना प्रदर्श पी 05 के अवलोकन से प्रकट होता है क्योंकि प्रदर्श पी 05 में फर्द जप्ती मुल्जिम के मकान से किया जाना प्रकट होता है इस प्रकार उक्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विरोधाभासी होना प्रकट होती है तथा बरामदगी स्थल के मालिक को गवाह नहीं बनाने व बरामदशुदा माल का वजन करवाया या नहीं पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य उक्त गवाह द्वारा दी गई है। इसी प्रकार गवाह रमेश चंद पी.डब्ल्यू–08 जो जप्तीकर्ता है उसने अपने बयानों में मुल्जिम के द्वारा अपने रिहायशी मकान से सामान बरामद करने के बाबत् तथ्य प्रकट किया है जबकि मकान के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार दौराने अनुसंधान तहरीरी रिपोर्ट में चोरी हुए सामानों के बिल फरियादिया के द्वारा पेश नहीं करने एवं चोरी हुए सामानों को वजन व पहचान अंकित नहीं होने एवं तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने के करीब तीन माह बाद मुल्जिम को गिरफ्तार करने, मुकदमा नंबर 558/16 में अनुसंधान के दौरान पूछताछ नोट में उसने बताया कि उसने और भी जगह चोरी की है, पूछताछ नोट पत्रावली में शामिल नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार जिस प्रकरण में पूछताछ के दौरान इस प्रकरण के बारे में उसने जो जानकारी दी है वह पूछताछ नोट ही प्रकरण में शामिल पत्रावली नहीं होना उक्त गवाह के बयानों से प्रकट होता है तथा गवाह ने आगे बरामदगी स्थल के स्वामित्व के कोई दस्तावेज प्राप्त

नहीं करने व जिस जगह का तस्दीक घटनास्थल बनाया उस जगह पहले जाने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से ही प्रथम दृष्टया संदिग्धता प्रकट होती है तथा प्रदर्श पी 05 के माध्यम से जिस स्थान से बरामदगी करना बताया है उस स्थान के स्वामित्व व कब्जे के बाबत् कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है। उक्त मकान मुल्जिम के स्वामित्व व कब्जे का रहा हो इस संबंध में कोई तथ्य गवाह रामचंद्र, शिवराज व रमेश चंद के बयानों से प्रकट नहीं होता है एवं तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 06 प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रकट होता है तथा जिस मकान में परिवादिया किराये से रहती है वह लक्ष्मी नागर गवाह पी.डब्ल्यू–01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है उक्त गवाह के द्वारा प्रकरण में घटना की ताईद नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इसी प्रकार गवाह हंसराज पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए वह उस मकान में गया तब ताला टूटा हुआ नहीं होने एवं प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 की ताईद नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त गवाह ने अपने बयानों में जब वह मकान पर गया तब ताला टूटा हुआ नहीं होने के तथ्य को जिरह में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में परिवादिया के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है वह संदिग्ध प्रकट होती है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–03 ज्ञानचंद व गवाह पी.डब्ल्यू–05 अरविंद उर्फ चंदन के द्वारा प्रकरण में घटना की ताईद नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित होना प्रकट होते हैं तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 मोहनलाल जो कि मालखाना प्रभारी के रूप में पेश हुआ है उक्त गवाह ने मालखाना रजिस्टर के अनुसार माल जमा करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 05 के गवाह रमेश, शिवराज व रामचंद्र जो परीक्षित हुए हैं उक्त गवाहान के द्वारा जो साक्ष्य दी गई है वह आपस में विरोधाभासी होना प्रकट होती है तथा प्रकरण में जप्तशुदा माल न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान पेश नहीं होना प्रकट होता है तथा पंचनामा व फोटोग्राफ भी अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त माल के संबंध में बिल वगैरह भी परिवादिया के द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रदर्श पी 05 के माध्यम से जिस मकान से बरामदगी दिखाई गई है वह मकान मुल्जिम के स्वामित्व व कब्जे का रहा हो इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होता है जबकि परिवादिया के बयानों में व रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 में विरोधाभास होना प्रकट होता है तथा जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसमें गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

23. परिणामतः अभियुक्त **मोहम्मद अशफाक उर्फ भट्टा** पुत्र मोहम्मद इब्राहीम निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा मुल्जिम के नियमित जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है एवं धारा 437 सीआरपीसी के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे एवं प्रकरण में जप्तशुदा माल के बाबत् जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

24. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

APO

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.10 16:05:09 IST